**55 (2) केन्द्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों की अधिवर्षिता तारीख**

निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को उपर्युक्त विषय पर 11 अप्रैल, 1991 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें उन कार्यपालकों की सेवानिवृत्ति की तारीख के संबंध में संदेह प्रकट किया गया है जिनकी जन्म तिथि माह के प्रथम दिन होती है। इस संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि केन्द्रीय लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी/अधिकारी, जिनकी जन्म तिथि माह के प्रथम दिन होती है, अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर उससे पिछले माह के अंतिम दिन को अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पैरा–1 में निर्दिष्ट विभाग के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखें।

**(लो.उ.ब्यू. का का.ज्ञा. की 14 मई 1991 का पत्र संख्या 18(6)/89 जी एम)**